दिनांक 28.10.2024	
प्रेस विज्ञप्ति 41/2024	

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आगामी त्यौहारों दीपावली पर्व आदि के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा/कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

श्री प्रशान्त कुमार, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद को त्यौहारों के सम्बन्ध में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग तथा मुख्यालय स्तर से समय-समय पर निर्गत निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए उक्त के क्रम में आगामी त्यौहारों यथा धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भैयादूज आदि के अवसर पर सुदृढ़ सुरक्षा/कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में पुनः निम्न निर्देश दिये गयेः-

- धनतेरस, दीपावली आदि के अवसर पर सर्राफा बाजारों तथा अन्य बाजारों में काफी भीड़-भाड़ होती है, महिलायें एवं पुरूष काफी अधिक संख्या में खरीदारी करने निकलते है। सुरक्षा के पुख्ता इन्तजाम किये जाये तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये साथ ही सादे वस्त्रों में भी पुरूष/महिला पुलिस कर्मियों की डियूटी लगायी जाये। बाजारों में एण्टी रोमियो स्क्वाड को भी सक्रिय रखा जाये। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा अधिक से अधिक संख्या में पुलिस/पीएसी बल के साथ सघन फुट पेट्रोलिंग की जाये। पूर्व में घटित घटनाओं के दृष्टिगत हॉट-स्पाट चिन्हित कर गश्त/पिकेट डियूटी एवं यू0पी0-112 के वाहनो का प्रभावी व्यवस्थापन सुनिश्चित किया जाये।
- छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों द्वारा स्वयं मौके पर पहुॅच कर विवाद को हल करने एवं संवेदनशीलता को समाप्त करने हेतु कड़े प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाये आवश्यकतानुसार सम्बंधित विभागों के अधिकारियों को भी सम्मिलित किया जाये। जनपद में रिजर्व पुलिस कर्मियों की टीम बनाकर उन्हें क्यूआरटी के रूप में रखा जाये तथा उनके साथ सभी दंगा नियंत्रित उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये।
- विस्फोटक पदार्थ/पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस धारकों की सूची थानावार अद्यावधिक कर ली जाये। विस्फोटक पदार्थों के निर्माण स्थलों की आकस्मिक एवं प्रभावशाली चेकिंग उपजिलाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, थाना प्रभारी एवं अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के साथ की जाये। विस्फोटक पदार्थ एवं पटाखों का

भंडारण एवं विक्रय आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखा जाये एवं पर्याप्त संख्या में अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। अग्निशमन विभाग के कार्मिकों को 24X7 सजग/सतर्क रखा जाये।

- रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, बाजार, मनोरंजन स्थल, पार्क, मल्टीप्लेक्स आदि स्थानों पर सुदृढ़ पुलिस प्रबन्ध किया जाये तथा पुलिस थानों, अधिकारियों तथा अन्य महत्वपूर्ण नम्बरों का प्रचार प्रसार किया जाये।
- जनपद के अन्तर्गत विभिन्न शहरों, कस्बों तथा मोहल्लों में पूर्व में गठित शान्ति समितियों, व्यापार मण्डल के पदाधिकारियों तथा धर्मगुरूओं के साथ जनपद/थाना स्तर पर गोष्ठी आयोजित कर लिया जाये तथा सम्भ्रान्त नागरिकों, शान्ति समितियों के सदस्यों व डिजिटल वालेन्टियर्स आदि का सक्रिय सहयोग लिया जाये।
- प्रत्येक थाने पर उपलब्ध त्यौहार रजिस्टर तथा रजिस्टर नं0–8 में उपलब्ध प्रविष्टियों का अध्ययन कर लिया जाय, किसी नई परम्परा की अनुमति न दी जाये।
- असामाजिक/अवांछनीय तत्वों की सूचियों को अद्यावधिक कर इन पर विशेष निगरानी रखी जाय तथा आवश्यकतानुसार ऐसे तत्वों के विरूद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। भीड़/दंगा नियंत्रण से सम्बन्धित उपकरणों को तैयारी की हालत में रखा जाय, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उनका तुरन्त उपयोग किया जा सके।
- जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के आस–पास प्रातःकालीन पोस्टर चेकिंग पार्टी निकाल कर सघन चेकिंग की जाये। इस दौरान शरारती/असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उन पर सतर्क दृष्टि रखी जाये।
- जनपद में स्थापित सी0सी0टी0वी0 कैमरो को थानावार सूचीबद्ध कर उनकी क्रियाशीलता का परीक्षण कर लिया जाये। महत्वपूर्ण हॉटस्पाट व संवेदनशील स्थलों पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करायी जाये।
- जनपद अयोध्या में आयोजित **दीपोत्सव कार्यक्रम** को सकुशल सम्पन्न कराये जाने हेतु एक्सेस कंट्रोल की सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाये तथा विभिन्न श्रोतों से प्राप्त होने वाली सूचनाओं पर सम्यक संज्ञान लेते हुये यथोचित कार्यवाही की जाये। जनपद अयोध्या के सभी धर्मशालाओं, होटलों, ढ़ाबों सराय आदि पर सतर्क दृष्टि रखी जाये तथा संदिग्ध व्यक्तियों/स्थानों की सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाये।
- महत्वपूर्ण स्थलों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था 24X7 रखी जाये तथा जनपद के आने–जाने वाले सभी मार्गों पर सुगम यातायात हेतु पार्किंग/ ट्रैफिक डायवर्जन

प्वाइंट/होल्डिंग एरिया आदि चिन्हित करते हुये समुचित पुलिस प्रबन्ध किया जाये।

- सरयू नदी के प्रवाह/उत्प्रवाह मार्ग पर सर्तक दृष्टि रखी जाय तथा सरयू नदी में पेट्रोलिंग हेतु समुचित एसओपी तैयार की जाये।
- दीपोत्सव के दौरान अतिविशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों के भ्रमण स्थल एवं समस्त कार्यक्रम स्थल की चेकिंग ए0एस0 चेक टीम एवं बी0डी0डीएस टीम द्वारा करा ली जाये। महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा मानक के अनुसार सुनिश्चित की जाये।
- भैयादूज, गोवर्धन पूजा आदि के अवसर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन एवं भीड़–भाड़ वाले अन्य स्थानों के साथ–साथ नदियों व घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध करते हुये विशेष सतर्क दृष्टि रखी जाय। नदियों व घाटों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेटिंग की व्यवस्था की जाये तथा स्थानीय गोताखोरों/जल पुलिस/बाढ़ राहत पीएसी की व्यवस्था की जाये तथा फ्लड लाइट व अल्टरनेट प्रकाश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
- स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारियों/कर्मचारियों को सतर्क रखा जाय। अभिसूचना इकाईयों के माध्यम से प्राप्त होने वाली लाभप्रद सूचनाओं के आधार पर समय रहते प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों की सघन मानीटरिंग की जाये तथा किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्टों का तत्काल खण्डन करते हुये दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ।

दिनांक 28.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 42/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद झाँसी/थाना नवाबाद</u>

- **01 लाख रूपये व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **20 हजार रूपये नगद, 04 आधार कार्ड आदि बरामद**

दिनांक 27.10.2024 को थाना नवाबाद व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर दाण्डी चौराहा के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त हरेन्द्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 20 हजार रूपये नगद, 04 आधार कार्ड आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर व जनपद झाँसी के विभिन्न थानो में धोखाधड़ी आदि के 10 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट कानपुर नगर व जनपद झाँसी से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट कानपुर नगर से 01 लाख रूपये का पुरस्कार व जनपद झाँसी से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबाद पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—हरेन्द्र कुमार निवासी झोकनबाग सिविल लाइन थाना नवाबाद जनपद झाँसी।

<u>बरामदगी</u>

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—20 हजार रूपये नगद, 04 आधार कार्ड आदि।

जनपद बलरामपुर/थाना महराजगंज तराई

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 02 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद**

दिनांक 27.10.2024 को थाना महराजगंज तराई व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर लोटस निक्को होटल माता पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नरेश उर्फ रामनरेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 02 हजार रूपये नगद, चोरी के चाँदी के आभूषण आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बलरामपुर, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, डकैती, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना महराजगंज तराई पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना महराजगंज तराई पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नरेश उर्फ रामनरेश निवासी खटिकनपुरवा थाना इकौना जनपद श्रावस्ती।

बरामदगी

1–चोरी के 02 हजार रूपये नगद।

2–चोरी के चाँदी के आभूषण आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–24

- **25–25 हजार रूपये का 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 28.10.2024 को थाना सेक्टर–24 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21(ए) के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1–विनोद 2–कपिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनकी विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 05–05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सेक्टर–24 पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–24 पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद निवासी ग्राम बवीना थाना विछवा जनपद मैनपुरी, हालपता खोडा कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–कपिल निवासी ग्राम नगलाबन लोगपुर थाना करहल जनपद मैनपुरी, हालपता ग्राम ममूरा सेक्टर–66 थाना फेस–3 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

जनपद अलीगढ़/थाना खैर

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 06 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 27.10.2024 को थाना खैर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम अहरौला शिवाला नहर पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–सुदर्शन 2–अनिल 3–अंकित 4–गीतेश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 06 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना खैर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना खैर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुदर्शन निवासी ग्राम ढबाला थाना बरसाना जनपद मथुरा।

2—अनिल निवासी ग्राम गढी भीमा थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा।

3—अंकित निवासी ग्राम सारोल थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

4—गीतेश निवासी ग्राम सारोल थाना टप्पल जनपद अलीगढ़।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 06 हजार रूपये नगद।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना निगोहा

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 70 हजार रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.10.2024 को थाना निगोहा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 03 अभियुक्तों 1—नीरज 2—रवि 3—श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 70 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 26.10.2024 को थाना निगोहा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना निगोहा पर

अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना निगोहा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीरज निवासी सितारा बेगम थाना ठाकुरगंज कमिश्नरेट लखनऊ।

2—रवि निवासी कैलाशपुरी थाना आलमबाग कमिश्नरेट लखनऊ।

3—श्रवण कुमार निवासी जेल रोड चारबाग कमिश्नरेट लखनऊ।

बरामदगी

1—लूट के 70 हजार रूपये नगद।

2—03 मोबाइल फोन।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 80 लाख रूपये कीमत के चोरी के 10 रेडियो रिसिवर यूनिट मोबाइल टॉवर**
- **04 हजार 500 रूपये नगद**
- **01 बडी सडासी, टूल बाक्स आदि बरामद**

दिनांक 28.10.2024 को थाना बिसरख व सीआरटी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भगत मार्केट के पास से 04 अभियुक्तों 1—मो0आजाद 2—आकाश कुमार 3—रिहान 4—जहीरूद्दीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 80 लाख रूपये कीमत के चोरी के 10 रेडियो रिसिवर यूनिट मोबाइल टॉवर, 04 हजार 500 रूपये नगद, 01 बडी सडासी, टूल बाक्स आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मो0आजाद निवासी कवीरनगर थाना बैलकम दिल्ली।

2–आकाश कुमार निवासी प्रतापनगर सम्भौली थाना हर्षविहार दिल्ली।

3–रिहान निवासी ग्राम जलालाबाद थाना जलालबाद जनपद शामली।

4–जहीरूद्दीन निवासी चौहान बांगर न्यू थाना सलेमपुर दिल्ली।

बरामदगी

1–लगभग 80 लाख रूपये कीमत के चोरी के 10 रेडियो रिसिवर यूनिट मोबाइल टॉवर।

2–04 हजार 500 रूपये नगद।

3–01 बडी सडासी, टूल बाक्स आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना जहानागंज

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 11 हजार 200 रूपये नगद आदि**
- **04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 28.10.2024 को थाना जहानागंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बजहाँ पुलिया के पास से पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्तों 1–रामरतन उर्फ गोलू 2–श्यामसुन्दर 3–अजय 4–आशीष को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 11 हजार 200 रूपये नगद आदि, 04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 23.10.2024 को थाना जहानागंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना जहानागंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामरतन उर्फ गोलू निवासी पटहुआ सठिया थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

2—श्यामसुन्दर निवासी बड़कापुरा छठियाव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़।

3—अजय निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

4—आशीष निवासी खुर्रहट थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी

1—लूट के 11 हजार 200 रूपये नगद आदि।

2—04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद मैनपुरी/थाना औंछा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **11 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 28.10.2024 को थाना औंछा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मोहम्मदपुर नहर पुल से दन्नाहार की तरफ उत्तरी पट्टी पर बने खंडहर से 02 अभियुक्तों 1—शेरबहादुर 2—आशीष कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 11 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त आषीष कुमार के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के विभिन्न थानों पर आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 08 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना औंछा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शेरबहादुर निवासी ग्राम नगला लायक थाना दन्नाहार जनपद मैनपुरी।

2–आशीष कुमार निवासी अलूपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

1–11 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित कारतूस 315 बोर।

2–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद सोनभद्र/थाना शक्तिनगर

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत की 60 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के बरामद**

दिनॉकः 28.10.2024 को थाना शक्तिनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जयन्त मार्ग पर ऊर्जा द्वार तिराहा से 05 अभियुक्तों 1–कुन्दन कुमार 2–गौतम कुमार 3–अर्जुन 4–गोविन्द कुमार 5–गोगा को गिरफ्तार किया गया तथा 01 बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत की 60 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त गौतम कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज, बिहार, झारखण्ड प्रान्त के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शक्तिनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कुन्दन कुमार निवासी तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज, झारखण्ड।

2–गौतम कुमार निवासी तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज, झारखण्ड।

3–अर्जुन निवासी बास केला थाना तेलझाड़ी जनपद साहेबगंज झारखण्ड।

4–गोविन्द कुमार निवासी तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज, झारखण्ड।

5–गोगा निवासी तीन पहाड़ थाम तीन पहाड़ जनपद साहेबगंज, झारखण्ड।

बरामदगी

1–चोरी के लगभग 12 लाख रूपये कीमत की 60 मोबाइल फोन विभिन्न कम्पनियों के।

जनपद मैनपुरी/थाना घिरोर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **90 किलोग्राम अवैध गांजा**
- **01 टाटा जिस्ट वाहन (बिना नम्बर)**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 28.10.2024 को थाना घिरोर व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर घिरोर अराव बार्डर से 03 अभियुक्तों 1–नीरज 2–टिंकू 3–ओमप्रकाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 90 किलोग्राम अवैध गांजा, 01 टाटा जिस्ट वाहन (बिना नम्बर), 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना घिरोर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नीरज निवासी विनयनगर बोदला थाना जगदीशपुरा, आगरा।

2–टिंकू निवासी धरमई थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

3–ओमप्रकाश निवासी भोडेरा थाना नारखी जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1–90 किलोग्राम अवैध गांजा।

2–01 टाटा जिस्ट वाहन(बिना नम्बर)।

3–01 मोटर साइकिल।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना पुवायॉ

02 अभियुक्त गिरफ्तार

लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 802 ग्राम अवैध अफीम

02 मोबाइल फोन

02 मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः 27.10.2024 को थाना पुवायॉ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर न्यू बाईपास ओवर ब्रिज बड़ागॉव के नीचे से 02 अभियुक्तों 1–राजवीर 2–रामलखन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 802 ग्राम अवैध अफीम, 02 मोबाइल फोन, 02 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना पुवायां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजवीर निवासी विक्रमपुर चकौरा थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

2–रामलखन निवासी विक्रमपुर चकौरा थाना निगोही जनपद शाहजहॉपुर।

बरामदगी

1–लगभग 03 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 802 ग्राम अवैध अफीम।

2–02 मोबाइल फोन।

3–02 मोटर साइकिल।

- **जनपद उन्नाव/थाना सफीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 04 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त शहजाद को धारा 302/120बी/394/411/201 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–मनीष 3–आशू 4–कुलदीप को धारा 302/120बी/394/411 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना फतेहगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बांदा द्वारा थाना फतेहगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रामभरोसा को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना खजनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना खजनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धर्मेन्द्र को आजीवन कारावास व 13 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना कछौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना कछौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त सोहेल खान को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद अम्बेडकरनगर/थाना अलीगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा थाना अलीगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मुमताज को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मऊ (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 02 करोड़ 27 लाख 72 हजार रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद मऊ पुलिस ने अभियुक्त भैरव सिंह पुत्र दिनेश सिंह निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ द्वारा अपने परिजनो के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी अचल सम्पत्ति कीमत करीब 02 करोड़ 27 लाख 72 हजार रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय शातिर असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का सदस्य एवं थाना वसई जिला थाणे (महाराष्ट्र) से वांछित अभियुक्त देवा प्रजापति जौनपुर से गिरफ्तार।</u>

दिनांक 27–10–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना वसई जिला थाणे (महाराष्ट्र) पर पंजीकृत मु0अ0सं0 174/2024 धारा 3/25(1)(बी) आर्म्स एक्ट व 37(1)/135 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में वांछित शातिर असलहा तस्कर देवा प्रजापति को जनपद जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

देवा प्रजापति पुत्र अजय प्रजापति निवासी नेवादा मुफलिसपुर थाना बदलापुर जनपद जौनपुर।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 01 अदद पिस्टल (09एम0एम0)

2– 02 अदद जिन्दा कारतूस (09एम0एम0)

3– 01 अदद मोबाइल फोन।

<u>गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–</u>

उसरा बाजार के पास थाना बदलापुर जनपद जौनपुर। दिनांक 27–10–2024

थाना वसई जिला थाणे (महाराष्ट्र) पर पंजीकृत मु0अ0सं0 174/2024 धारा 3/25(1)(बी) आर्म्स एक्ट व 37(1)/135 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट का अभियोग पंजीकृत

हुआ था। जिसमें वांछित अभियुक्त जावेद खान को दिनांक 24—07—2024 को मीरा भयन्दर वसई विरार (थाणे) पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ के आधार पर असलहा तस्कर देवा प्रजापति का नाम प्रकाश में आया था, जिसके गिरफ्तारी हेतु मुम्बई पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा था तथा एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश से आवष्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिसके अनुक्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 वाराणसी के पर्यवेक्षण एवं निरीक्षक श्री अमित श्रीवास्तव एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनांक 27—10—2024 को उ0नि0 अंगद सिंह यादव, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में टीम गठित कर मीरा भयन्दर वसई विरार (थाणे) पुलिस के साथ जनपद जौनपुर में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी, कि विश्वस्त सूत्र के माध्यम से ज्ञात हुआ कि शातिर असलहा तस्कर देवा प्रजापति उसरा बाजार के पास मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी टीम व मीरा भयन्दर वसई विरार (थाणे) पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर पहुंचकर देवा प्रजापति उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त देवा प्रजापति ने पूछताछ में बताया कि उसका अवैध असलहा तस्करी का एक गिरोह है, जो मुम्बई के असलहा तस्करों को उत्तर प्रदेश से असलहा सप्लाई करता है। नीरज मौर्या, अमित निषाद व दीपक निषाद निवासी जनपद जौनपुर व उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों के असलहा तस्करों से असलहा खरीदकर महाराष्ट्र के असलहा तस्करों को प्रति असलहा 50—60 हजार रूपये में बेचता था। पूर्व में भी कई बार मुम्बई में असलहा सप्लाई कर चुका है। गिरोह का सक्रिय सदस्य जावेद खान को गिरफ्तार किया गया था एवं अन्य 05 तस्करों को 08 असलहा के साथ मुम्बई पुलिस द्वारा पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त देवा प्रजापति को मा0 न्यायालय जौनपुर के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही महाराष्ट्र पुलिस द्वारा किया जा रहा है।

——————